

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- एफ 2 (ग) (चवेमा)/79-III/अलेसे-1/ 8803-04

दिनांक:- 04.03.2014

कार्यालय आदेश संख्या 111/2013-14

श्री धर्मीचन्द अरोड़ा, सहायक लेखाधिकारी को विभागीय आदेश क्रमांक एफ.2(ग)(एसीपी)/अलेसे-1/2785-86 दिनांक 06.12.2012 आदेश संख्या 231/2012-13 द्वारा इनकी लेखाकार के पद पर प्रथम नियुक्ति दिनांक 19.03.1980 मानते हुये दिनांक 01.06.2002 के पश्चात् तीसरी संतान उत्पन्न होने के फलस्वरूप इन्हें 5 वर्ष पश्चात् दिनांक 19.03.2007 के स्थान पर 19.03.2012 से तृतीय एसीपी स्वीकृत की गयी थी।

वित्त विभाग के मेमोरेण्डम क्रमांक प.14 (88) वित्त/ नियम/ 2008-I एवं II दिनांक 31.12.2009 के नियम बिन्दु संख्या 8(iii) के अनुसार दिनांक 01.06.2002 के पश्चात् संतान की संख्या 2 से अधिक होने पर एसीपी देय नहीं है। इस संबंध में वित्त (राजस्व) विभाग के पत्रांक प.2(39)वित्त/राजस्व/2010 जयपुर दिनांक 12.02.2014 से प्राप्त मार्गदर्शन के क्रम में निदेशालय के पत्रांक एफ.2(ग)(एसीपी)/अलेसे-1/2785-86 दिनांक 06.12.2012 द्वारा श्री धर्मीचन्द अरोड़ा, सहायक लेखाधिकारी को स्वीकृत तृतीय एसीपी एतद् द्वारा निरस्त की जाती है।


(वीरबाला जोशी)
निदेशक

क्रमांक:- एफ 2 (ग) (चवेमा)/79-III/अलेसे-1/ 8803-04

दिनांक:- 04.03.2014

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ जोन अजमेर।
2. श्री धर्मीचन्द अरोड़ा, सहायक लेखाधिकारी, कार्यालय- चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ जोन अजमेर।
3. निजी सहायक निदेशक महोदया।
4. निजी पत्रावली/गार्ड फाईल/गोपनीय अनुभाग/कम्प्यूटर अनुभाग (वेबसाईट हेतु)।


(के.एम. मीणा)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-I)